कार्यकारी सार

वर्तमान वर्षों में भारत का निर्यात बढ़ा है जो 1992 में लगभग 0.5 प्रतिशत से 2013 में 1.4 प्रतिशत तक बढ़ते हुए वैश्विक निर्यातों में हमारे हिस्से के साथ 5 प्रतिशत की वैश्विक निर्यात वृद्धि के प्रति 15 प्रतिशत तक (सीएजीआर) बढ़ा है। यद्यपि, विकासशील अर्थव्यवस्था की माँगों के कारण आयात तेजी से बढ़े हैं। परिणामस्वरूप, व्यापार संतुलन विस्तृत हुआ है तथा 2004-05 में चालू खाता शेष नकारात्मक हो गया तथा तब से घाटे में रहा। इसक मुल्य स्थायित्त्व तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

सरकार तथा सार्वजनिक नीति अध्ययन में विशेषज्ञ संव्यवहार लागत में कमी, व्यापार सरलीकरण को सुद्धढ करने, संभावित बाजारों तक अधिमान्य पहुँच पर समझौते, दीर्घावधि निवेश को आकर्षित करने तथा समरूपी पारितोषिक तथा प्रोत्साहन व्यापार वातावरण के साथ आधुनिक तकनीक निर्धारित करने में लगभग एक राय हैं।

शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) को एक प्रोत्साहन योजना के रूप में दिनांक 17 अप्रैल 1997 के परिपत्र संख्या 10/1997 द्वारा अधिसूचित किया गया था। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग (वीएबीएएल) योजना तथा पूर्व की एक्जिम पॉलिसी की पासबुक योजना की जगह डीईपीबी योजना ने ले ली। डीईपीबी योजना में शुरू में दो उप योजनायें थी, अर्थात् 'निर्यात-पूर्व डीईपीबी' और पश्च् 'निर्यात डीईपीबी' । निंर्यात –पूर्व डीईपीबी योजना 1 अप्रैल 2000 से बंद कर दी गई। वर्षों से कई विस्तार के बाद पश्च् निर्यात योजना 30 सितम्बर 2011 को समाप्त कर दी गयी और तत्पश्चात् डीपीईबी मदों को 1 अक्टूबर 2011 से शुल्क फिरती अनुसूची में शामिल कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने 28 आरए, सात सेज तथा 31 सीमा शुल्क बन्दरगाहों में हस्त लिखित के साथ इडीआई वातावरण दोंनों में नीति कार्यान्वयन मुद्दे तथा परिचालन दोष के मामले देखे। इसे कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली ने और बढ़ावा दिया। डीजीएफटी/सीमा शुल्क तथा आरबीआई के बीच समन्वय पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। डीईपीबी क्रेडिट शुल्क शुल्क के वास्तविक भार से नही मिलते थे तथा सी.एवं एजी. की पिछली रिर्पोटों के बावजूद योजना कार्यान्वयन समान नीति अपनिर्वचनों तथा खराब कार्यप्रणाली

मे फँसा रहा। डीजीएफटी ने योजना की निष्पादन रणनीति के संबंध में इसकी प्रभावशीलता का कोई परिणाम आकलन नहीं किया था एवं ना ही शुल्क निष्प्रभावीकरण पर योजना के कार्यान्वयन से पहले राजस्व प्रभाव आकलन किया था।

लेखापरीक्षा संपूर्ण चित्रण हेतु निर्यातको/आयातकों तथा विनिर्माण निर्यातों को योजना आधारित पारितोषिक एवं प्रोत्साहनों तथा एफटीए आधारित प्रोत्साहनों के अभिन्न घटकों को अवश्य ध्यान में रखते हुए वाणिज्य विभाग/राजस्व विभाग द्वारा योजनाओं के प्रभाव अथवा परिणामों के अध्ययन किये जाने की सिफारिश करती है। ऐसे विवरण संघ सरकार के प्राप्ति बजट में एफआरबीएम प्रकटीकरण के भाग के रूप में बेहतर ढंग से उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।